एनएस-एमआईएससी0 ओटीएचआर/61/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)

भारत सरकार

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स

लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110003

दिनांकः 28.02.2025

2025 की एडवाइजरी संख्या 02

विषयः- डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार सत्यापन (सर्कुलेशन वेरीफिकेशन) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/दिशानिर्देशों की समीक्षा

अपने वार्षिक विवरण में दावे किए प्रसार आंकड़ों के समर्थन में दस्तावेज तैयार करने तथा उन्हे समेकित करने में कठिनाई के संबंध में प्रकाशकों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/ दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।

2. तद्नुसार, संशोधित एसओपी/दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। इसी बीच प्रकाशकों को यह सलाह दी जाती है कि वे 2025 की एडवाइजरी संख्या 1 (प्रति संलग्न) के अनुरूप अपने आवेदन प्रस्तुत करें। सभी आवेदनों पर यथोचित समय में जारी होने वाले नए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रजित चंद्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक

भारत के प्रेस महापंजीयक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
सत्यमेव जयते